न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स / एल.आर. /8332 / 2006 / जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमती रामादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद कौम वामडा ब्राहमण निवासी जयचंदपुरा तहसील जमवारामगढ

.....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री विजेन्द्र चौधरी, अति0 राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ।
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः

1— राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 29—7—06 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2— रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार जमवारामगढ ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम जयपुर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि मुताबिक खतौनी बंदोबस्त भू प्रबंध विभाग संवत् 2008 से 2027 ग्राम जयचंदपुरा की आराजी खसरा नंबर 240 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि माफी दरगाह पीरजी वाके ग्राम ताला की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में अब्दुल रहमान वल्द महताब कौम मुसलमान साकिन ताला का नाम दर्ज था। बाद में भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा नंबर 240 के नये नंबर 220 बने तथा संवत् 2020 खतौनी एकीकरण जमाबंदी में माफी दरगाह पीरजी ताला का नाम बिना किसी आधार व आदेश के विलोपित कर दिया और कृषक अब्दुल रहमान की खातेदारी दर्ज कर दिया। अब्दुल रहमान द्वारा भूमि का बेचान किये जाने पर जरिये नामांतरकरण संख्या 353 से अप्रार्थी रामादेवी की खातेदारी में आई है और वर्तमान में विवादित भूमि अप्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। इस प्रकार विवादित भूमि माफी दरगाह

पीरजी ताला की भूमि थी, जिसे नियम विरूद्ध निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि माफी दरगाह पीरजी ताला के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम जयपुर को प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 29–7–06 द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करके वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी की खातेदारी से हटा माफी दरगाह पीरजी ताला के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है।

3– विद्वान अति0राजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी दरगाह पीरजी ताला के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जो माफी दरगाह की श्रेणी में आता है। चूंकि माफी दरगाह शाश्वत नाबालिग है और माफी दरगाह शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। वर्तमान जमाबंदी में विवादित भूमि बेचार के आधार पर माफी दरगाह के स्थान पर अप्रार्थीया के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीया के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी दरगाह पीरजी ताला के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

4– अति0 राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

5– पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बदोबंस्त भू प्रबंध विभाग सम्वत 2008 से 2027 ग्राम जयचंदपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तत्समय वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 240 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि ''माफी दरगाह पीर जी ताला'' के नाम से अभिलिखित थी। इससे साबित है कि वादग्रस्त भूमि माफी ''माफी दरगाह पीर जी ताला'' की थी। आगामी जमाबंदी में बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित आराजी माफी मंदिर ''माफी दरगाह पीर जी ताला'' के नाम से हटा कर अब्दुल रहमान वल्द महताब कौम मुसलमान साकिन ताला तथा बेचान के आधार पर अप्रार्थीया के नाम दर्ज कर दी गई। दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि जमाबंदी संवत् 2008 से 2020 में ''माफी दरगाह पीर जी ताला'' की खातेदारी में दर्ज थी और बाद में उसे गलत रुप से अप्रार्थीया के नाम अंकित कर दी गयी।

6— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति/दरगाह पीर/देवस्थान की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं दरगाह पीर/मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में दरगाह पीर/मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार दरगाह पीर/मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीया के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। 1995 RRD 418 में मण्डल की माननीय वृहद पीठ द्वारा 1984 आरआरडी पेज 1 और 1987 आरआरडी पेज 201 का अनुसरण करते हुये यह प्रतिपादित किया है कि मन्दिर/दरगाह/देवस्थान एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर/दरगाह/देवस्थान की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर/दरगाह/देवस्थान की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर/दरगाह/देवस्थान के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। माफी मन्दिर/दरगाह/देवस्थान खुदकाबिज है, वहां यह माना जावेगा कि खुदकाबिज होकर मन्दिर/दरगाह/देवस्थान खुदकाश्त है। ऐसे मामलों में जहां मन्दिर/दरगाह/देवस्थान खुद काबिज होकर खुदकाश्त है, अन्य व्यक्ति को कोई भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। खातेदारी अधिकार मन्दिर/दरगाह/देवस्थान के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

7— निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संबंधित तहसीलदार को वाके ग्राम जयचंदपुरा की विवादित भूमि को पुनः ''माफी दरगाह पीर जी ताला'' के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीया के नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य